आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6.12.17	पत्रावली पेश हुई। बहुलाप पक्षकार उपस्थित। श्री हीरासिंह सतंजावल एड- की नियुक्ति ... के वकीलों ने कार्य स्थगित (रखा) अत: पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 13.12.17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
13.12.17	पत्रावली पेश हुई। बहुलाप पक्षकार उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत [illegible] पेश हुआ। शामिल मिसल रहे। वास्ते बहस दिनांक 19.12.17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय)	
19.12.17	पत्रावली पेश हुई। बहुलाप पक्षकार उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा फर्द-दस्तावेजात पेश की गई। शामिल मिसल रहे। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28.12.17 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
28.12.17	पत्रावली पेश हुई। बहुलाप पक्षकार उपस्थित। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू की आज्ञा दिनांक 27.9.1994 बमिसल 32/89 व इसके अनुसरण में स्वीकार किया गया नामान्तरकरण सं0 42 ग्राम शील की डूंगरी निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.12.17 को खुले इजलास सुनाया गया। अति कलक्टर (द्वितीय) (न्यायिक) ... जयपुर	

लगातार......

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 09 / 2017

प्रभातीलाल पुत्र श्री जमनलाल, जाति–खारवाल, निवासी–शील की डूंगरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र श्री जमनलाल, जाति–खारवाल, निवासी–शील की डूंगरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. मूलचन्द पुत्र श्री जमनलाल, जाति–खारवाल, निवासी–शील की डूंगरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. धन्नालाल पुत्र श्री जमनलाल, जाति–खारवाल, निवासी–शील की डूंगरी, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील विरूद्ध आज्ञा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू जिला–जयपुर दिनांक 29.07.1994 बमिसल संख्या 32 / 89 जिसके द्वारा ग्राम शील की डूंगरी की आराजी का विभाजन कर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया)

उपस्थितः–

1. श्री आर0पी0 शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री मनोज शर्मा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
3. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः 28.12.2017

सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू ने अपनी आज्ञा दिनांक 29.7.1994 द्वारा ग्राम शील की डूंगरी की आराजी खसरा नम्बर 43, 38, 45 से बने हाल ख0नं0 280, 299, 300, 308, 309, 313 प्रभात पुत्र जमनालाल उर्फ झम्मन, आ0ख0नं0 282 / 606, 294, 295, 296, 287 / 599 ग्यारसीलाल पुत्र जमनालाल उर्फ झम्मन, 272, 273, 274, 275, 282, 284, 297, 298 मूलचन्द पुत्र जमनालाल उर्फ झम्मन, आ0ख0नं0 279, 281, 310, 311 धन्नालाल पुत्र जमनालाल उर्फ झम्मन, आ0ख0नं0 236, 239, 240, 289, 290, 291, 312 प्रभात, ग्यारसीलाल, मूलचन्द, धन्नालाल पुत्रान् जमनालाल उर्फ झम्मन के नाम नामान्तरकरण भरकर पेश करने की आज्ञा दी हैं जिसके अनुसरण में ना0संख्या 42 स्वीकार किया गया हैं, जिससे व्यथीत होकर यह अपील प्रस्तुत हुई हैं।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर करवाई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गए व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री आर0पी0 शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व राजस्व रिकार्ड व मौके की जांच नही की गई हैं। अपीलान्ट् ने अपने स्वयं के कब्जे–काश्त खातेदारी आराजी गत खसरा नम्बर 45 रकबा 11 बीधा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 43 रकबा 3 बीधा कुल किता 2 रकबा 14 बीधा 12 बिस्वा के बंटवारे की कभी स्वीकृति नहीं दी हैं। आराजी खसरा नम्बर 45 व 43 दोनों ही खसरा नम्बरान् की आराजी अपीलान्ट् की स्वयं की खातेदारी कब्जे–काश्त की आराजी हैं। आ0ख0नं0 45 व 43 में अपीलान्ट् के अलावा अन्य किसी का कोई सीर–साझा नहीं हैं, अतः बंटवारे हेतु सहमति दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। अपीलान्ट् अनपढ़ एवं भोला–भाला व्यक्ति हैं और इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलान्ट् को धोखे में रखकर तथा अपीलान्ट् के भोलेपन व निरक्षरता का नाजायज फायदा उठाते हुए राजस्व कारकूनान से मिलीभगत कर दौराने भू–प्रबन्ध अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 3 के शामलाती आ0ख0नं0 38 रकबा 14 बीधा 01 बिस्वा का आपस में बंटवारा करने की कार्यवाही करते हुए धोखे से अपीलान्ट् की स्वयं की खातेदारी आ0ख0नं0 43 व 45 को भी शामिल करते हुए सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू से दिनांक 29.07.1994 को बंटवारा करवाकर नामान्तरकरण स्वीकार करा लिया, जो प्रारम्भ से शून्य हैं। बंटवारानामा जो स्वीकार किया गया है वह, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत किया गया हैं। अपीलान्ट् की स्व–अर्जित खातेदारी–काश्तकारी आराजी को भी धोखे से सम्मिलित कर बंटवारा किया है मौके पर आज भी बंटवारे से पूर्व की स्थिति–अनुसार कब्जा–काश्त हैं। बंटवारा जो तैयार किया गया है वह रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 द्वारा अवैद्य रुप से अनुचित फायदा प्राप्त करने की गरज से तैयार कराया जाकर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू द्वारा बिना विवेक का उपयोग किये हीं बंटवारेनामें को मनमानें तौर पर स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। बंटवारानामा केवल मात्र संयुक्त खाते की साबिका आराजी

खसरा नम्बर 38 हेतु हुआ था परन्तु धोखे से अपीलान्ट् की स्वयं की खातेदारी आराजी साबिका खसरा नम्बर 45 व 43 को भी सम्मिलित किया हैं जिसका कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 3 को कोई अधिकार नहीं था और न ही सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू द्वारा अपने अधिकारो का दुरूपयोग कर अपीलान्ट् के खातेदारी कब्जेशुदा आराजी का बंटवारा कर रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 3 के नाम लगाने का अधिकार था। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू को बिना किसी वैद्य आदेश के किसी व्यक्ति की खातेदारी भूमि को अन्य किसी व्यक्ति के नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं हैं। अपीलान्ट् ने अपने स्वयं की खातेदारी आराजी साबिका खसरा नम्बर 45 व 43 का बंटवारा मूलचन्द, धन्नालाल, ग्यारसीलाल पुत्र श्री जमनालाल उर्फ झम्मन के हक में करने की कभी कोई न तो स्वीकृति दी हैं और न ही कभी अपीलान्ट् ने सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू को बंटवारे हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। बंटवारे का जो शपथ पत्र तैयार किया गया हैं वह तथ्यो को छिपाकर किया गया हैं और शामलाती भूमि के तकासमा किये जाने का ही समझौता हुआ था। अपीलान्ट् के स्वयं के खाते की आराजी का बंटवारा या तकासमा किये जाने का कोई अभिलेख अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। मौके पर आज भी अपीलान्ट् की स्वयं की साबिका आराजी खसरा नम्बर 45 व 43 पर अपीलान्ट् का कब्जा–काश्त हैं। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट् को सुनवाई का कोई नोटिस/अवसर नहीं दिया गया। प्रारम्भ से शुन्य बंटवारेनामें/नामान्तरकरण का अपीलान्ट् को कोई इल्म नही था परन्तु सर्वप्रथम दिनांक 23.11.2016 को के.सी.सी. हेतु जमाबन्दी प्राप्त करने पर हुई। इसके पश्चात् अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट्स के मध्य इन्द्राज दुरूस्ती के आश्वासन हेतु सहमत हुये लेकिन दिनांक 15.01.2017 को रेस्पोडेन्ट्स ने इन्द्राज दुरूस्ती से मना कर दिया तो अपीलान्ट् ने उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के समक्ष धोषणा का वाद दायर किया। इसी दरमियान अपीलान्ट् लगभग दो माह बीमार रहा तथा स्वस्थ होने पर तत्काल अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर दिनांक 15.03.2017 को नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील पेश की हैं। अपील पेश किये जाने में किसी प्रकार की जानबूझकर देरी नहीं की गई हैं और प्रारम्भ से शून्य आज्ञा के विरूद्ध अपील किये जाने हेतु कोई मियाद लागू नही होती हैं। अपीलान्ट् ने धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः अपील–अपीलान्ट् स्वीकार फरमाई

जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 29.07.1994 बमिसल 32/89 नामान्तरकरण संख्या 42 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट् सं. 1 लगायत 03 के विद्वान् अभिभाषक श्री मनोज शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 29.07.1994 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरुप पारित की गई हैं। आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू के विरूद्ध गलत व झूठे आधार पर अपील प्रस्तुत की गई हैं, जो निरस्तनीय हैं। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 29.07.1994 के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार कलक्टर में निहित नहीं होने से अपील–अपीलान्ट् खारिज योग्य हैं। अपीलान्ट् द्वारा नामान्तरकरण संख्या 32/89 को अपील में चुनौती दी गई हैं। इसके पूर्व पारित आज्ञा दिनांक 29.07.1994 को किसी न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया हैं। आज्ञा दिनांक 29.07.1994 को निरस्त किये बिना नामान्तरकरण संख्या 32/89 को निरस्त किये जाने का विचारण न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने से अपील खारिज योग्य हैं। अपीलाधीन आज्ञा के विरूद्ध मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई हैं जबकि प्रार्थना पत्र धारा 5 में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण दर्शाया जाना आवश्यक हैं। अपीलान्ट् ने अपने धारा 5 मियाद अधिनियम में विलम्ब क्षम्य हेतु कोई सद्भाविक कारण अंकित नहीं किये हैं। विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू की आज्ञा का अपीलान्ट् को प्रारम्भ से ही ज्ञान था। विवादग्रस्त आराजी के खातेदारान की सहमति से प्रस्तुत किये गये बंटवारेनामे को बाद जांच स्वीकार किया गया है, अपीलान्ट् ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजी के सहमति से विभाजन किये जाने का बयान दिया हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 03 द्वारा किसी प्रकार की कोई कपटपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि सही तथ्य यह है कि खातेदारान सह–खातेदारान द्वारा मिल–बैठकर आपसी रजामंदी से बंटवारानामा तैयार किया था जिसे सभी को पढकर सुनाये जाने व समझने के पश्चात् सभी द्वारा अपनी स्वेच्छा से बंटवारेनामे पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी की गई है। बंटवारेनामे से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी जो कि अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 के पिता व भाईयों की पैतृक सम्पत्ति हैं, का आपसी सहमति से विभाजन कर अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे हैं और विभाजन के अनुसार ही कब्जा–काश्त हैं। राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किया जा चुका है।

बंटवारेनामे के अनुसार ही मौके पर काबिज–काश्त है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 3 की आराजी पर अपीलान्ट् का कोई हक–हकूक नही है और न ही कब्जा–काश्त है। बंटवारानामा सभी पक्षकारों के मध्य सभी तथ्यों की जानकारी के पश्चात् आपसी रजामंदी से किया गया है और सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू द्वारा सभी पक्षकारों/खातेदारो के बयान लेकर व राजस्व रिकार्ड की जांच कर सही रुप से स्वीकार किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट् को प्रारम्भ से ही थी। अपील एक लम्बी दीर्घ अवधि के पश्चात् की गई है। अपीलान्ट् द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के न्यायालय में अपीलान्ट् द्वारा वाद दायर किया गया हैं जिसमें राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने की स्थगन आज्ञा हैं। नियमित वाद में पक्षकारों के अधिकार तय होगे। अतः अपील–अपीलान्ट् सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार सह–काश्तकारों की आराजी के बंटवारे की अनापत्ति दी गई हैं। अपील का गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार निस्तारण किया जावें ।

हमने उभय–पक्षो की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध शपथ पत्र राशि 5/– रू0 बाबत् आपसी सहमति से विभाजन के अवलोकन से यह शपथ पत्र जरिये क्रमांक 2809 दिनांक 10.10.1987 प्रभात, ग्यारसीलाल, मूलचन्द, धन्नालाल पुत्रान् जमनालाल के नाम से वास्ते एग्रीमेन्ट क्रय किया गया हैं जिस पर प्रभात, ग्यारसीलाल, मूलचन्द, धन्नालाल पुत्रान् जमनालाल द्वारा शपथपूर्वक अंकित किया गया हैं कि हमने अपने पिता व भाईयों की पैतृक सम्पत्ति का अपनी आपसी सहमति से विभाजन कर अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे हैं। इसलिए नये नम्बर 280, 299, 300, 308, 309, 313 पर प्रभात पुत्र जमनालाल उर्फ झम्मन व आ0ख0नं0 282/606, 294, 295, 296, 287/599 पर ग्यारसीलाल व 272, 273, 274, 275, 282, 284, 297, 298 पर मूलचन्द व आ0ख0नं0 279, 281, 310, 311 पर धन्नालाल का कब्जा–काश्त रहेगा व आ0ख0नं0 236, 239, 240, 289, 290, 291, 312 पर हम चारों भाईयों का हिस्सा बराबर शामलात रहेगे। इस शपथ पत्र पर किये गये हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी पर कोई दिनांक अंकित नहीं हैं यहां तक कि ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित किये जाने की दिनांक भी अंकित नहीं हैं। इस शपथ पत्र को

ग्यारसीलाल के हस्ताक्षरशुदा प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.1989 के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना जाहिर होता हैं जिस पर रिकार्ड रिपोर्ट के साथ पेश करने की दिनांक 13.06.1989 को आज्ञा दी गई हैं। जिसकी पालना में प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.1989 की पुश्त पर रिपोर्ट की गई हैं। इस रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 14 बीधा 01 बिस्वा जिसके हाल नम्बर 236, 239, 240, 284, 289, 290, 291, 294, 295, 310, 312, 313, 287/599 इन्द्राज खसरा प्रभात, ग्यारसीलाल, मूलचन्द, धन्नालाल पिसरान् जमन, जाति–खारवाल साकिन देह खातेदार। आ0ख0नं0 43 रकबा 3 बीधा हाल खसरा नम्बर 272, 273, 274, 275 प्रभात पुत्र जमन, जाति–खारवाल साकिन देह खातेदार। आ0ख0नं0 45 रकबा 11 बीधा 12 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 279, 280, 281, 282, 296, 297, 298, 299, 300, 308, 309, 311, 282/606 उपरोक्त के नाम होना अंकित किया गया हैं। प्रथम–दृष्ट्या इस रिपोर्ट दिनांक 16.01.1990 के अवलोकन से ही यह जाहिर होता हैं कि आ0ख0नं0 38 रकबा 14 बीधा 01 बिस्वा प्रभात, ग्यारसीलाल, मूलचन्द, धन्नालाल की शामलाती भूमि हैं और खसरा नम्बर 43 व 45 प्रभात पुत्र जमन की स्वयं की एकल निजी खातेदारी भूमि हैं। इस रिपोर्ट के विपरित अधीनस्थ न्यायालय ने आ0ख0नं0 38, 43, 45 पर प्रभात, ग्यारसीलाल, मूलचन्द, धन्ना लाल पुत्र जमन, जाति–खारवाल के नाम से खातेदारी अंकित होना लिखा हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भू–मापक द्वारा की गई रिपोर्ट दिनांक 16.01.1990 के समर्थन में अथवा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आ0ख0नं0 38, 43, 45 को प्रभात, ग्यारसीलाल, मूलचन्द, धन्नालाल की खातेदारी आराजी होने के समर्थन में किसी राजस्व अभिलेख की प्रति शामिल नहीं हैं परन्तु अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत् 2024–2027, 2028–2031, 2032–2035, 2041–2044 में आ0ख0नं0 43, 45 प्रभात्या पुत्र जमन, जाति–खारवाल, साकिन देह खातेदार अंकित हैं, नकल खतौनी एकीकरण (जमाबन्दी) सम्वत् 2011 में आ0ख0नं0 45 रकबा 11 बीधा 12 बिस्वा एवं आ0ख0नं0 43 रकबा 3 बीधा प्रभात्या पुत्र जमन, जाति–खारवाल के नाम दर्ज हैं जिससे अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री आर0पी0 शर्मा के इस कथन की पुष्टि होती हैं कि आ0ख0नं0 43 व 45 शामलाती भूमि नहीं हैं बल्कि प्रभात पुत्र जमन की स्वयं की एकल खातेदारी की भूमि हैं इसके विपरित पत्रावली पर ऐसे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह प्रकट करते हो कि आ0ख0नं0 43 व

45 अपीलान्ट् व रेस्पोडेन्ट् 1 लगायत 3 की पैतृक आराजी रही हो। उक्त विवेचन से यह जाहिर होता हैं कि अधीनस्थ सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं इसके सहपठित राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18,19 एवं 20 के प्रावधानों के विरूद्ध अवैध रूप से आ0ख0नं0 43 व 45 वाके ग्राम शील की डूंगरी का आज्ञा दिनांक 29.07.1994 बमिसल 32/89 द्वारा बंटवारा कर नामान्तरकरण संख्या 42 स्वीकार किया गया हैं। विधि के प्रावधानों के विरूद्ध पारित की गई आज्ञा को निरस्त किया जाना न्यायसंगत पाते हैं। चूंकि अपीलाधीन आज्ञा द्वारा पारित की गई आज्ञा को चुनौती दिये जाने की अपील को निर्णित किये जाने की शक्तियां कलक्टर/अति0 कलक्टर में निहित हैं और श्रवण–क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई आज्ञा प्रारम्भ से शून्य हैं ऐसी आज्ञा को चुनौती दिये जाने में किये गये विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित पाते हैं। अतः अपील–अपीलान्ट् स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, चाकसू की आज्ञा दिनांक 29.07.1994 बमिसल 32/89 व इसके अनुसरण में स्वीकार किया गया नामान्तरकरण संख्या 42 वाके ग्राम शील की डूंगरी निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर